



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264534
CG-DL-E-11072025-264534

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3018]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/ आषाढ 20, 1947

No. 3018]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ ASHADHA 20, 1947

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

का.आ. 3087(अ).— केंद्रीय सरकार, "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 (2025 का 11) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित परिनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय परिनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कुलाधिपति.— (1) कुलाधिपति सहकारिता, शैक्षणिक या लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा अनुशंसित कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से नियुक्त किया जाएगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार पैनल में शामिल किसी भी व्यक्ति को मंजूरी नहीं देती है, तो वह एक विस्तारित नया पैनल बुला सकती है:

परंतु यह और कि कुलाधिपति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) कुलाधिपति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

(i) कुलाधिपति, जब कभी आवश्यक हो, विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय को सलाह देने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं:

परंतु शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे आमंत्रितों का एक पैनल विश्वविद्यालय द्वारा बनाए रखा जाएगा।

(ii) यदि कुलाधिपति की राय में किसी अत्यावश्यक मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह शासी बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और फिर ऐसा विनिश्चय यथाशीघ्र बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

(iii) विश्वविद्यालय के परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि कुलाधिपति उचित समझे तो विश्वविद्यालय के किसी मामले पर निरीक्षण या जांच का आदेश दे सकता है या कर सकता है और ऐसे निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट के आधार पर वह शासी बोर्ड को उचित कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है।

3. कुलपति।— (1) कुलपति की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से की जाएगी और ऐसी समिति में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा परिनियम 16 में निर्दिष्ट है:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार पैनल में शामिल किसी भी व्यक्ति को मंजूरी नहीं देती है, तो वह एक विस्तारित नया पैनल बुला सकती है:

परंतु यह कि कुलपति एक से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया, पदधारी के कार्यकाल पूरा होने से छह माह पूर्व शुरू होगी और पदधारी के कार्यकाल पूरा होने से तीस दिन पूर्व की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि उसके पास -

(i) उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में;

(ii) प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठनों में ज्येष्ठ स्तर पर; या

(iii) उद्योग या सहकारी क्षेत्र, लोक प्रशासन, लोक नीति या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वरिष्ठ स्तर पर,

महत्वपूर्ण शैक्षणिक या विद्वत्तापूर्ण योगदान के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो।

(4) कुलपति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा:

परंतु पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

(5) कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों में कोई हित टकराव नहीं होना चाहिए तथा उसने दो कार्यकाल पूरे नहीं किए हों, उसे कुलपति की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(6) जब कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा या, यथास्थिति, बीमारी या ऐसे अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो कुलाधिपति, कार्यकारी परिषद की सिफारिश के आधार पर, यथास्थिति, तीन ज्येष्ठतम डीन या निदेशकों में से किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, नए कुलपति की नियुक्ति किए जाने तक या विद्यमान कुलपति द्वारा अपना कार्यभार पुनः ग्रहण किए जाने तक, कुलपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

(7) केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा कुलपति को अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण के आधार पर हटा सकती।

(8) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कुलपति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है:

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसा आदेश देने से पूर्व किसी भी समय कुलपति को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर सकेगी।

परंतु यह और कि कुलाधिपति ऐसे मामलों की जांच करने के लिए एक तथ्य-खोज समिति गठित करेंगे, जो मामले पर अपनी सिफारिशें कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और कुलाधिपति, मामले में अपनी टिप्पणियों के साथ ऐसी सिफारिशों को समुचित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार को संसूचित करेंगे।

(9) कुलपति, कुलाधिपति को तीन माह का नोटिस देकर पद से त्यागपत्र दे सकेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार को सिफारिश के साथ भेजा जाएगा और यदि तीन माह के भीतर कोई विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया गया समझा जाएगा और नोटिस अवधि की समाप्ति पर कुलपति पदमुक्त हो जाएगा :

परंतु यदि विषय पर कोई विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो कुलपति नोटिस अवधि के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकेंगे।

परंतु यह और कि यदि केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चय करती है कि कुलपति को नोटिस अवधि पूरी किए बिना तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जा सकता है, तो कुलपति को शेष नोटिस अवधि के लिए वेतन का भुगतान करके कार्यमुक्त किया जा सकता है।

(10) कुलपति को मासिक वेतन (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-17 (225000/- रुपये)) और अन्य भत्ते तथा सुविधाएं केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और इसी प्रकार के अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रमुखों के बराबर दी जाएंगी, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। वह किराए का भुगतान किए बिना, अपनी पदावधि के दौरान सुसज्जित आवास का उपयोग करने का हरदार होगा और ऐसे निवास के रखरखाव की बाबत कुलपति पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा। सभी साज-सज्जा और फिक्सचर विश्वविद्यालय की संपत्ति होगी:

परंतु कुलपति को भी कार्य निष्पादन मापन ढांचे और प्रक्रिया के आधार पर वार्षिक रूप से परिवर्तनशील वेतन का भुगतान किया जाएगा, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान आदि जैसे केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुशंसित और कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के समान होगी।

परंतु यह और कि यदि किसी वर्ष के लिए ऐसा परिवर्तनीय वेतन विचाराधीन वर्ष के वार्षिक वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के 50% से अधिक हो तो केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(11) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं:

परंतु जहां विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संधारित किसी महाविद्यालय या संस्था का, या किसी अन्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था का कोई कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे किसी ऐसी भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रखने की अनुमति दी जा सकेगी, जिसका वह सदस्य है और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के खाते में उस भविष्य निधि में उसी दर पर अंशदान करेगा, जिस दर पर वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले अंशदान कर रहा था:

परंतु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम के लिए आवश्यक अंशदान करेगा।

(12) कुलपति, केन्द्रीय सरकार के मानदंडों के अनुसार ऐसे यात्रा भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(13) कुलपति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सरकार के मानदण्डों के अनुसार चिकित्सा देखभाल और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार के लिए पात्र होंगे।

(14) कुलपति एक कैलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर अवकाश लेने का हकदार होगा और यह अवकाश प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पंद्रह दिन की दो किस्तों में अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा किया जाएगा।

परंतु यदि कुलपति अर्ध-वर्ष की अवधि के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है, तो अवकाश सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए ढाई दिन की दर से आनुपातिक रूप से जमा किया जाएगा।

(15) कुलपति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध-वेतन अवकाश पाने का हकदार होगा और अर्ध-वेतन अवकाश को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित अवकाश के रूप में भी लिया जा सकेगा:

परंतु जब ऐसा परिवर्तित अवकाश लिया जाता है, तो अर्ध-वेतन अवकाश की दोगुनी राशि देय अर्ध-वेतन अवकाश से डेबिट की जाएगी।

4. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।— (1) कुलपति कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद, क्षमता निर्माण परिषद, मूल्यांकन और सुधार परिषद, अनुसंधान और विकास परिषद, संबद्धता और मान्यता बोर्ड और वित्त समिति का अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में डिग्री प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और शासी बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की बैठक बुलाने का हकदार होगा, लेकिन जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, तब तक वह वहां मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसके पास ऐसे पालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

(4) कुलपति के पास विश्वविद्यालय में अनुशासन के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक शक्तियां होंगी और वह ऐसी किसी भी शक्ति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंप सकता है, जिन्हें वह ठीक समझे।

(5) कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन से शासी बोर्ड की बैठक बुलाएगा।

(6) कुलपति किसी सदस्य को प्राधिकरण, निकाय या समिति की बैठक से कार्यवाही में बाधा डालने या सदस्य के अनुचित आचरण में लिस होने के कारण निलंबित कर सकता है।

(7) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यकारी परिषद को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करे।

(8) कुलपति, कुलाधिपति को सूचित करते हुए अपने अवकाश की अवधि के दौरान अपने कार्यों के निष्पादन के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम निदेशक या डीन को नामित कर सकता है।

(9) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन हो।

(10) कुलपति के पास सरकार के नियमों के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के सचिव की सभी वित्तीय शक्तियां होंगी, जहां तक वे विश्वविद्यालय के व्यवसाय के संचालन के लिए लागू होती हैं या लागू की जा सकती हैं।

(11) कुलपति को कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद, क्षमता निर्माण परिषद, मूल्यांकन और सुधार परिषद, अनुसंधान और विकास परिषद, संबद्धता और मान्यता बोर्ड तथा वित्त समिति की बैठकें बुलाने या बुलाने का अधिकार होगा।

(12) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उसके अधीन सौंपे जाएं या कार्यकारी परिषद द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

5. रजिस्ट्रार।— (1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, कानूनी निकायों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं या राज्य विश्वविद्यालयों से सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से परिनियम 17 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परंतु रजिस्ट्रार बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

(3) केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा रजिस्ट्रार को अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के उल्लंघन के आधार पर हटा सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक रजिस्ट्रार को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाएः

परंतु केन्द्रीय सरकार ऐसा आदेश देने से पहले किसी भी समय रजिस्ट्रार को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर सकती हैः

परंतु यह और कि कुलाधिपति ऐसे मामलों की जांच करने के लिए एक तथ्यान्वेषण समिति गठित करेगा, जो मामले पर अपनी सिफारिशें कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और कुलाधिपति, मामले में अपनी टिप्पणियों के साथ ऐसी सिफारिशों को समुचित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित करेगा।

(5) रजिस्ट्रार को मासिक वेतन]सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (144200-218200 रुपये)] तथा अन्य भत्ते और सुविधाएं दी जाएंगी जो केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं तथा समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समकक्ष पद के समतुल्य होंगी तथा रजिस्ट्रार की सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के समतुल्य निर्धारित की जाएंगी।

(6) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या जब रजिस्ट्रार वीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।

(7) रजिस्ट्रार को शैक्षणिक कर्मचारियों को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति होगी, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(8) रजिस्ट्रार के विनिश्चय से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कुलपति को आवेदन दे सकता है, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(9) कुलसचिव, कुलपति को तीन माह का नोटिस देकर पद से त्यागपत्र दे सकेंगे, जिसे भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को संस्तुति सहित भेजा जाएगा तथा यदि तीन माह के भीतर कोई विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा तथा कुलसचिव नोटिस अवधि की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाएंगे तथा यदि विषय पर कोई विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो कुलसचिव नोटिस अवधि के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकेंगे:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चय करे कि कुलसचिव को नोटिस अवधि पूरी किए बिना तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जा सकता है तो कुलसचिव को शेष नोटिस अवधि के लिए वेतन देकर पदमुक्त किया जा सकेगा।

(10) कुलसचिव, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, क्षमता निर्माण परिषद, मूल्यांकन एवं सुधार परिषद तथा सम्बद्धता एवं मान्यता बोर्ड के पदेन सचिव होंगे तथा शासी बोर्ड के सदस्य-सचिव भी होंगे।

(11) कुलसचिव अपने कार्यों के समुचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(12) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि-

(i) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन में कुलपति की सहायता करें;

(ii) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुहर तथा ऐसी अन्य सम्पत्ति का संरक्षक हो;

(iii) शासी बोर्ड तथा अन्य प्राधिकारियों की बैठकें बुलाने के लिए सभी सूचनाएं जारी करें;

(iv) शासी बोर्ड तथा अन्य प्राधिकारियों की सभी बैठकों तथा उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त रखें;

(v) शासी बोर्ड तथा अन्य प्राधिकारियों के आधिकारिक पत्राचार का संचालन करें;

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करें; तथा,

(vii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों या अध्यादेशों में निर्दिष्ट किए जाएं या जो समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा अपेक्षित किए जाएं।

6. वित्त अधिकारी।— (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, कानूनी निकायों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं या राज्य विश्वविद्यालयों से सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से परिनियम 17 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

(2) वित्त अधिकारी, अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु वित्त अधिकारी, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

(3) केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा वित्त अधिकारी को अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के उल्लंघन के आधार पर हटा सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वित्त अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए:

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसा आदेश देने से पहले किसी भी समय वित्त अधिकारी को जांच लंबित रहने तक निलम्बित कर सकती है।

परन्तु यह भी कि कुलाधिपति ऐसे मामलों की जांच करने के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति गठित करेगा, जो मामले पर अपनी सिफारिशें कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात कुलाधिपति ऐसी सिफारिशों को मामले में अपनी टिप्पणियों के साथ केन्द्रीय सरकार को उचित कार्रवाई के लिए संप्रेषित करेगा।

(5) वित्त अधिकारी को मासिक वेतन [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (14200-218200 रुपये)] तथा अन्य भत्ते और सुविधाएं केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं तथा समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समकक्ष पद के समतुल्य दी जाएंगी तथा वित्त अधिकारी की सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के समतुल्य प्रदान की जाएं।

(6) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।

(7) वित्त अधिकारी कार्यकारी परिषद को तीन माह का नोटिस देकर पद से त्यागपत्र दे सकेगा, जिसे भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को संस्तुति सहित भेजा जाएगा तथा यदि तीन माह के भीतर कोई विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा तथा वित्त अधिकारी नोटिस अवधि की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाएगा तथा यदि विषय पर कोई विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो वित्त अधिकारी नोटिस अवधि के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकेगा:

परन्तु यदि कार्यकारी परिषद यह विनिश्चय करती है कि वित्त अधिकारी को नोटिस अवधि पूरी किए बिना तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जा सकता है तो वित्त अधिकारी को शेष नोटिस अवधि के लिए वेतन देकर पदमुक्त किया जा सकेगा।

(8) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(9) वित्त अधिकारी-

(i) विश्वविद्यालय की निधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा तथा ऐसी निधियों की वित्तीय नीति पर परामर्श देगा; तथा

(ii) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करेगा जो कार्यकारी परिषद द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(10) कार्यकारी परिषद के नियंत्रण के अधीन, वित्त अधिकारी-

(क) न्यास और दान की गई संपत्ति सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश को धारण और प्रबंधित करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यकारी परिषद द्वारा एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए नियत सीमाओं को पार नहीं किया जाता है और सभी धनराशि उसी उद्देश्य पर खर्च की जाती है जिसके लिए उन्हें प्रदान या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की तैयारी और कार्यकारी परिषद को उनकी प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकदी और बैंक शेष की स्थिति और निवेश की स्थिति पर निरंतर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व संग्रह की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रह की विधियों पर सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टर अद्यतन रखे गए हैं और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यालयों, विभागों, केंद्रों, स्कूलों और इसी तरह के उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की स्टॉक-जांच की जाती है;

(छ) किसी भी अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति के ध्यान में लाना तथा सभी उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी भी कार्यालय, विभाग, केन्द्रीय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, संस्था से कोई भी सूचना या विवरणी मांगना जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(11) विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि के लिए वित्त अधिकारी या कार्यकारी परिषद द्वारा इस नियित सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी की गई कोई रसीद, ऐसी धनराशि के भुगतान के लिए पर्याप्त मुक्ति मानी जाएगी।

7. शासी बोर्ड की बैठकें।— (1) शासी बोर्ड की वार्षिक बैठक कार्यकारी परिषद द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से नियत तारीख को आयोजित की जाएगी, जब तक कि शासी बोर्ड द्वारा किसी वर्ष के संबंध में कोई अन्य तारीख नियत न की गई हो, जो किसी वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर के पश्चात् नहीं होगी।

(2) शासी बोर्ड की वार्षिक बैठक में, पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्ययों का विवरण, लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और अगले वर्ष के लिए वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) उप-परिनियम (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय के विवरण, बैलेंस शीट और वित्तीय अनुमानों की एक प्रति, वार्षिक बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले शासी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को प्रदान की जाएगी:

परंतु शासी बोर्ड की विशेष बैठकें कार्यकारी परिषद या कुलपति द्वारा या यदि कोई कुलपति नहीं है, तो रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जा सकती हैं।

(4) शासी बोर्ड के ग्यारह सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति बनाएंगे।

8. कार्यकारी परिषद का गठन, शक्तियाँ और कार्य.- (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का गठन कर सकेगी है, जैसा कि वह उसमें निर्दिष्ट करे।

(2) कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित कम से कम दो महिला सदस्य शामिल होंगी, अर्थात्:-

- (i) कुलपति - अध्यक्ष, पदेन;
- (ii) वित्तीय सलाहकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य पदेन;
- (iii) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय के निदेशक और पदेन डीन - सदस्य पदेन;
- (iv) चक्रानुक्रम से तीन वर्षों के लिए विद्यालयों के पाँच डीन (पदेन) - सदस्य;
- (v) चक्रानुक्रम से तीन वर्षों के लिए विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के दो निदेशक - सदस्य
- (vi) प्रॉक्टर - सदस्य पदेन;
- (vii) सहकारिता मंत्रालय से संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर के अधिकारी - सदस्य पदेन
- (viii) चक्रानुक्रम से तीन वर्ष के लिए दो वरिष्ठ प्रोफेसर - सदस्य;
- (ix) तीन वर्ष के लिए सहकारी क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ - सदस्य;
- (x) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक से तीन वर्ष के लिए एक-एक प्रतिनिधि - पदेन सदस्य;
- (xi) रजिस्ट्रार-पदेन सचिव।

(3) किसी पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके आधार पर वह सदस्य है।

(4) कार्यकारी परिषद की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी और ऐसी परिषद के एक-तिहाई सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति होंगी।

(5) कार्यकारी परिषद को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन तथा विश्वविद्यालय के उन सभी प्रशासनिक मामलों के संचालन का अधिकार होगा जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।

(6) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्यकारी परिषद को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

- (i) पीठों सहित अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करना;
- (ii) ऐसे पदों की संख्या और पारिश्रमिक अवधारित करना तथा आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना;
- परंतु कार्यकारी परिषद द्वारा शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या और अर्हताओं के संबंध में कोई कार्रवाई शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही की जाएगी;
- (iii) इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर, आवश्यकतानुसार आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और अध्यक्ष सहित अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(iv) विभिन्न संस्थानों, महाविद्यालयों, संकायों, विद्यालयों, विभागों और केंद्रों में शिक्षण कर्मचारियों की संयुक्त नियुक्तियाँ करके अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(v) प्रशासनिक, अनुसन्चिवीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके कर्तव्यों एवं सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित रीति से उन पर नियुक्तियाँ करना;

(vi) कुलाधिपति एवं कुलपति के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को अनुपस्थिति अवकाश प्रदान करना तथा उसकी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे अधिकारी के कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक व्यवस्था करना;

(vii) परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन एवं प्रवर्तन करना;

(viii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, विनिधान, संपत्ति, कारबार एवं अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन एवं विनियमन करना तथा इस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जिन्हें वह उचित समझे;

(ix) वित्त समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए कुल आवर्ती एवं कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएँ नियत करना;

(x) विश्वविद्यालय की समस्त निधियों को ऐसे बैंकों में जमा करना या ऐसी रीति से निवेशित करना जैसा कि कार्यकारी परिषद वित्त समिति की सिफारिश पर अवधारित करे;

(xi) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण या हस्तांतरण स्वीकार करना:

परंतु किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण या निपटान से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जाएगी;

(xii) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, उपकरण और अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(xiii) विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें लागू करना और रद्द करना;

(xiv) विश्वविद्यालय के पीड़ित कर्मचारियों और छात्रों की किसी भी शिकायत का निवारण करना;

(xv) परीक्षकों और मॉडरेटरों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाना, तथा शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद से परामर्श के बाद उनकी फीस, पारिश्रमिक, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और ऐसी मुहर के उपयोग की व्यवस्था करना;

(xvii) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना;

(xviii) विजिटिंग प्रोफेसरों, एमेरिट्स प्रोफेसरों, परामर्शदाताओं और विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के नियम व शर्तें अवधारित करना;

(xix) ज्ञान के संवर्धन के लिए उद्योग और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ साझेदारी करना और ऐसी साझेदारी के लाभों से एक निधि कोष स्थापित करना;

(xx) किसी भी मामले के संबंध में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निर्देश पर सलाह देना;

(xxi) अपनी कोई भी शक्ति कुलपति, संकायाध्यक्षों, कुलसचिव या नियंत्रक या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को, जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना;

(xxii) साधारणतया, कार्यकारी परिषद अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्रदत्त विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं हैं, और

(xxiii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम या इन परिनियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएँ।

9. ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय के कार्यकारी बोर्ड का गठन, शक्तियाँ और कार्य—(1) विश्वविद्यालय, विनिर्दिष्ट तारीख से ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय का एक कार्यकारी बोर्ड गठित कर सकेगा।

(2) कार्यकारी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य शामिल होगी, जिसे कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा, अर्थात्—

- (i) आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, गुजरात सरकार सदस्य पदेन;
- (ii) तीन वर्षों के लिए सहकारी क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित क्षेत्र-विशेषज्ञ - सदस्य;
- (iii) चक्रानुक्रम से तीन वर्षों के लिए बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, मेहसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, साबरकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड में से एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (iv) तीन वर्षों के लिए विश्वविद्यालय के बाहर से एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद - सदस्य;
- (v) तीन वर्षों के लिए विकास क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित क्षेत्र-विशेषज्ञ - सदस्य;
- (vi) चक्रानुक्रम से तीन वर्षों के लिए ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय का एक आचार्य या सह आचार्य - सदस्य;
- (vii) चक्रानुक्रम से तीन वर्षों के लिए विश्वविद्यालय के अन्य विद्यालयों से एक आचार्य या सह आचार्य - सदस्य;
- (viii) चक्रानुक्रम से तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड और तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड में से किसी एक का एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (vi) तीन वर्षों के लिए ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय का एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र - सदस्य;
- (vii) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय के निदेशक - संयोजक।

(3) यदि कुलाधिपति का पद रिक्त है, तो केंद्रीय सरकार कार्यकारी परिषद की सिफारिशों पर कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को नामनिर्देशित करेगी।

(4) कार्यकारी बोर्ड की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी और कार्यकारी बोर्ड के चार सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति होंगे।

(5) कार्यकारी बोर्ड, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अनुसार ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय की पहचान और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय पर सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा।

(6) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय के किसी भी चालू शैक्षणिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम की पहचान और स्वायत्तता विश्वविद्यालय द्वारा संरक्षित रखी जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो कोई भी संशोधन ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय के कार्यकारी बोर्ड की सहमति से किया जाएगा।

(7) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय को निम्नलिखित प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वायत्तता प्राप्त होगी—

(क) शैक्षणिक स्वायत्तता के अंतर्गत, शैक्षणिक प्रकृति की निम्नलिखित मदें शामिल होंगी, अर्थात्:-

- (i) चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को जारी रखना;
- (ii) ग्रामीण प्रबंधन पर एक नया कार्यक्रम या पाठ्यक्रम तैयार करना और शुरू करना, जिसमें उसकी शिक्षाशास्त्र आदि शामिल हैं;
- (iii) प्रस्तावित किए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रम;
- (iv) अनुसंधान करना और परामर्श कार्य करना;
- (v) सहकारी क्षेत्र सहित विकास क्षेत्र के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम;
- (vi) ग्रामीण प्रबंधन से संबंधित कार्यशालाएँ, सेमिनार या अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करना;
- (vii) प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक सहयोग;

(x) प्रशासनिक स्वायत्तता के अंतर्गत, दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के निम्नलिखित मद शामिल होंगे, अर्थात्:-

- (i) इसके भौतिक और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना से संबंधित दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलाप;
- (ii) इसके भौतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा;
- (iii) संविदा के आधार पर शैक्षणिक सहयोगियों और प्रशासनिक कर्मचारियों का मूल्यांकन और भर्ती;
- (iv) कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की रीति;
- (v) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार अतारीख संकाय या संविदा संकाय की नियुक्ति;
- (vi) आवश्यक तकनीकी उपकरणों और सहायक उपकरणों की खरीद; और
- (vii) विद्यालय के दैनिक सुचारू संचालन हेतु कोई अन्य छोटा-मोटा कार्य।

जहाँ तक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय का संबंध है, उपरोक्त मदों के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की प्रशासनिक अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी। तथापि, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय ऐसे कार्यों के निर्वहन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद या किराये पर लेना भी शामिल है। तथापि, अन्य प्रशासनिक मामले जैसे संकाय सदस्यों की भर्ती और प्रोन्नति, वेतन संबंधी मामले, प्रोत्साहन, आवास, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा सुविधाएँ आदि जैसे उपबंध पूरी तरह से विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में होंगे।

10. ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष — (1) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों में से की जाएगी और सभी सदस्य मतदान के लिए पात्र होंगे तथा अधिकतम मत प्राप्त करने वाले किसी भी सदस्य की सिफारिश कार्यकारी परिषद द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए की जाएगी। कुलपति ऐसी सिफारिश के आधार पर कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे:

परंतु अध्यक्ष विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष का कार्यकाल कार्यकारी बोर्ड के गठन की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा:

परंतु जब कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा, या, जैसी भी स्थिति हो, वीमारी या ऐसे अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो कार्यकारी बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को उस अध्यक्ष के शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकता है, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया है।

11. बैठकों का कार्यवाहक अध्यक्ष - जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष का कोई उपबंध नहीं है या जब ऐसा उपबंधित अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

12. त्यागपत्र - ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय के शासी बोर्ड, कार्यकारी परिषद या कार्यकारी बोर्ड या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य के अलावा कोई भी सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है और यह त्यागपत्र कुलपति द्वारा अनुमोदित होते ही प्रभावी हो जाएगा।

13. निरहंता - (1) कोई व्यक्ति किसी भी प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने और होने के लिए, या विश्वविद्यालय का अधिकारी नियुक्त किए जाने और होने के लिए निरहंत होगा, यदि -

- (i) वह विकृतचित्त है;
- (ii) वह अनुमोदित दिवालिया है;
- (iii) उसे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसके लिए कम से कम छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई हो या वह 10 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहा हो;
- (iv) अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार नियुक्त न किया गया हो; या
- (v) किसी शिक्षक-सदस्य को परीक्षा संचालन में अनुचित व्यवहार में लिप्त होने या उसे बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (i) में उल्लिखित किसी भी निरहंता से ग्रस्त है या रहा है, तो यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

14. सदस्यता और पद के लिए निवासी शर्तें—परिनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का प्रमुख बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

15. अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता—परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य के रूप में या किसी विशिष्ट नियुक्ति के धारक के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य है, वह ऐसे पद या सदस्यता को केवल तब तक धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति का धारक बना रहता है।

16. खोज-सह-चयन समिति—कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशों करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक खोज-सह-चयन समिति होगी, जिसमें शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों, न्यायपालिका, प्रौद्योगिकीविदों और प्रबंधन विशेषज्ञों में से चुने गए तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे, जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत विनिश्चय द्वारा किया जाएगा:

परंतु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्थान या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र का कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

17. चयन समिति—कुलसचिव और वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिशें करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति होगी:

परंतु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्थान या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र का कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

18. ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय का नामकरण—अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (vi) के उपबंधों के अनुसार, पूर्ववर्ती ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद की पहचान को बनाए रखने के लिए ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद विद्यालय का नामकरण "आईआरएमए" किया जाता है।

19. परिचालन द्वारा प्रस्ताव : बजट संबंधी मामलों को छोड़कर, किसी भी आपात स्थिति में, जहाँ कार्रवाई तत्काल आधार पर की जानी अपेक्षित हो और जहाँ किसी प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित हो और समय की कमी के कारण ऐसे प्राधिकरण द्वारा बैठक आयोजित करना संभव न हो, तो प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित विनिश्चय ऐसे प्राधिकरण के सभी सदस्यों को प्रसारित किया जा सकता है और इस प्रकार प्रसारित और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई भी प्रस्ताव उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो वह प्रस्ताव ऐसे प्राधिकरण की बैठक में पारित किया गया हो, परंतु कम से कम उतने सदस्यों ने, जितने गणपूर्ति के लिए अपेक्षित हों, प्रस्ताव पर अपने विचार दर्ज किए हों।

20. जब बैठक की कार्यवाही के संचालन से संबंधित किसी प्रक्रिया या किसी मामले के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

21. किसी भी प्राधिकरण का अध्यक्ष अपेक्षानुसार प्राधिकरण की बैठकों में किसी विशिष्ट कार्यसूची मद के लिए किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है। तथापि, ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

[फा.सं. के-17/1/2025-एमओसी]

आनंद कुमार ज्ञा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2025

S.O. 3087(E).— In exercise of the powers conferred by section 33 of the “Tribhuvan” Sahkari University Act, 2025 (11 of 2025), the Central Government hereby makes the following Statutes, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These Statutes may be called the “Tribhuvan” Sahkari University Statutes, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Chancellor.— (1) The Chancellor shall be a person of eminence in the field of cooperative, academic or public administration and shall be appointed by the Central Government from a panel of not less than three persons recommended by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Cooperation:

Provided that if the Central Government does not approve any of the persons included in the panel, it may call for an extended fresh panel:

Provided further that the Chancellor shall not be eligible for re-appointment.

(2) The Chancellor shall have following powers:

(i) The Chancellor may invite any person of eminence to advise the University in relation to the affairs of the University as and when necessary:

Provided that a panel of such invitees, as approved by the Governing Board, shall be maintained by the University.

(ii) If the Chancellor is of the opinion that immediate action is necessary on any urgent matter, he may exercise the powers of the Governing Board and then such decision shall be reported to the Board at the earliest opportunity.

(iii) Notwithstanding anything contained in the Statutes of the University, the Chancellor may order or undertake an inspection or inquiry, if he deems fit on any affairs of the University and based on the report of such inspection or inquiry, he may recommend appropriate action to be taken to the Governing Board.

3. Vice-Chancellor.— (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Central Government out of panel of three names recommended by the Search cum Selection Committee constituted for this purpose and such Committee shall consist of such persons as referred to in statute 16:

Provided that if the Central Government does not approve any of the persons included in the panel, it may call for an extended fresh panel:

Provided further that the Vice-Chancellor shall not be eligible for re-appointment for more than one term.

(2) The appointment process of the Vice-Chancellor shall begin six months before the completion of the tenure of the incumbent and shall be completed within a period of thirty days before the completion of the tenure of the incumbent.

(3) A person shall be eligible for appointment as Vice-Chancellor, if he has a minimum of ten years' experience,—

(i) as a Professor in a higher educational institution;

(ii) at a senior level in reputed research or academic administrative organisations; or

(iii) at a senior level in industry or co-operative sector, public administration, public policy or public sector undertakings,

with a proven track record of significant academic or scholarly contributions.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office.

(5) The person to be appointed as Vice-Chancellor should not have any conflict of interest in the matters relating to the University and have not completed two terms, shall be considered for the appointment of the Vice-Chancellor.

(6) When the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or, as the case may be, due to illness or such other cause, the Chancellor, based on the recommendation of the Executive Council from amongst three senior-most Deans or Directors, as the case may be, may appoint an individual to perform the functions of the Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor is appointed or, as the case may be, the existing Vice-Chancellor resumes his duties.

(7) The Central Government may, by an order in writing, remove the Vice-Chancellor on the grounds of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions.

(8) No such order shall be made by the Central Government unless the Vice-Chancellor has been given an opportunity of being heard:

Provided that the Central Government may, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry.

Provided further that the Chancellor shall constitute a fact-finding committee to examine such cases, which shall submit its recommendations on the case to the Chancellor and the Chancellor, then, shall communicate such recommendations along with his observations in the matter to the Central Government for appropriate action.

(9) The Vice-Chancellor may resign from the post by giving three months' notice to the Chancellor, which shall be forwarded with the recommendation to the Central Government and shall be deemed to be accepted if no decision is taken within the three months and the Vice-Chancellor shall stand relieved on the expiry of the notice period:

Provided that the Vice-Chancellor may withdraw his resignation at any time during the notice period, if no decision is taken on the subject.

Provided further that, if the Central Government decides that the Vice-Chancellor may be relieved with immediate effect without completion of the notice period, then the Vice-Chancellor may be relieved by paying salary for the remaining notice period.

(10) The Vice-Chancellor shall be paid a monthly salary (level-17 (Rs. 225000/-) in the pay matrix of the 7th CPC) and other allowances, and perks at par with that of Heads of Centrally Funded Technical Institutions such as Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management and the like and other Institutions of National Importance as amended from time to time and he shall be entitled, without payment of rent, to use a furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor in respect of the maintenance of such residence. All furnishings and fixtures shall be the property of the University:

Provided that the Vice-Chancellor shall also be paid variable pay annually based on a performance measurement framework and procedure similar to that adopted by Centrally Funded Technical

Institutions such as Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management and the like and recommended by the Executive Council and approved by the Chancellor.

Provided further that if such variable pay for a year exceeds 50% of the annual salary (Basic and DA) of the year under consideration, approval of the Central Government shall be required.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Central Government from time to time:

Provided that where an employee of the University or a College or an Institution established or maintained by the University, or of any other University or any College or Institution admitted to the privileges of the University or such other University, is appointed as the Vice-Chancellor, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his appointment as the Vice-Chancellor:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme.

(12) The Vice-Chancellor shall be eligible for such travelling allowance, as per the Central Government norms.

(13) The Vice-Chancellor shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as per the Central Government norms as amended from time to time.

(14) The Vice-Chancellor shall be entitled to avail leave on full pay at the rate of thirty days in a calendar year and the leave shall be credited to his account in advance in two instalments at half-yearly of fifteen days each on the first day of January and July every year.

Provided that if the Vice-Chancellor assumes or relinquishes charge of the office of the Vice-Chancellor during the currency of a half-year, the leave shall be credited proportionately at the rate of two and-a-half days for each completed month of service.

(15) The Vice-Chancellor shall be entitled to half-pay leave at the rate of twenty days for each completed year of service and half-pay leave may also be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate:

Provided that when such commuted leave is availed of, twice the amount of half-pay leave shall be debited against half-pay leave due.

4. Powers and duties of Vice-Chancellor.— (1) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council, the Academic and Research Council, Capacity Building Council, Assessment and Improvement Council, Research and Development Council, Board for Affiliation and Recognition and the Finance Committee and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the Convocations held for conferring degrees and at meetings of the Governing Board.

(2) The Vice-Chancellor shall be entitled to convene the meeting of any authority or other body of the University, but shall not be entitled to vote there unless he is a member of such authority or body.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he shall have all the powers necessary to ensure such observance.

(4) The Vice-Chancellor shall have the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such powers to such person or persons as he deems fit.

(5) The Vice-Chancellor shall convene the meeting of Governing Board with the approval of the Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor can suspend a member from the meeting of the authority, body, or committee for persisting to obstruct the proceedings or for indulging in behaviour unbecoming of a member.

(7) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to submit annual reports and accounts to the Executive Council.

(8) The Vice-Chancellor may nominate a senior-most Director or Dean of the University to perform his functions during the period of his leave under intimation to the Chancellor.

(9) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that decisions taken by the Executive Council are implemented.

(10) The Vice-Chancellor shall have all financial powers of the Secretary to the Government of India for the purposes of rules of the Government, in so far as they are applicable or may be made applicable to the conduct of the business of the University.

(11) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Executive Council, the Academic and Research Council, Capacity Building Council, Assessment and Improvement Council, Research and Development Council, Board for Affiliation and Recognition and the Finance Committee.

(12) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by or under this Act or the Statutes or as may be delegated to him by the Executive Council.

5. Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Central Government through a method of direct recruitment or deputation from the Central or State Governments, autonomous bodies, statutory bodies, Central Universities, centrally funded Technical Institutions or State Universities on the recommendations of the Selection Committee as constituted under statute 17.

(2) The Registrar shall hold the office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-two years, whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment.

Provided that the Registrar shall, notwithstanding his attaining the age of sixty-two years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office.

(3) The Central Government may, by an order in writing, remove the Registrar on the grounds of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions.

(4) No such order shall be made by the Central Government unless the Registrar has been given an opportunity of being heard:

Provided that the Central Government may, at any time before making such order, place the Registrar under suspension, pending enquiry.

Provided further that the Chancellor shall constitute a fact-finding committee to examine such cases, which shall submit its recommendations on the case to the Chancellor and the Chancellor, then, shall communicate such recommendations along with his observations in the matter to the Central Government for appropriate action.

(5) The Registrar shall be paid a monthly salary (level-14 (Rs.144200-218200) in pay matrix of the 7th CPC) and other allowances, and perks at par with that of equivalent post of Centrally Funded Technical Institutions such as Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management and the like and other Institutions of National Importance as amended from time to time and the terms and other conditions of service of the Registrar shall be such as may be provided by the Executive Council, at par with Centrally Funded Technical Institutions such as Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management and the like.

(6) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(7) The Registrar shall have the power to take disciplinary action against such of the employees, excluding academic staff, in such manner as may be specified in the order to be issued by the Executive Council for this purpose.

(8) Any person aggrieved by the decision of the Registrar may prefer an application to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final and binding on the parties.

(9) The Registrar may resign from the post by giving three months' notice to the Vice-Chancellor, which shall be forwarded with recommendation to the Ministry of Cooperation, Government of India and shall be deemed to be accepted if no decision is taken within the three months and the Registrar shall stand relieved on the expiry of the notice period and the Registrar may withdraw his resignation at any time during the notice period if no decision is taken on the subject:

Provided that, if the Central Government decides that the Registrar may be relieved with immediate effect without completion of the notice period, then the Registrar may be relieved by paying salary for the remaining notice period.

(10) The Registrar shall be the *ex officio* Secretary of the Executive Council, Academic and Research Council, Capacity Building Council, Assessment and Improvement Council and Board for Affiliation and Recognition and also the Member-Secretary of the Governing Board.

(11) The Registrar shall be responsible to the Vice-Chancellor for the proper discharge of his functions.

(12) It shall be the duty of the Registrar—

(i) to assist the Vice-Chancellor in managing the administrative affairs of the University;

- (ii) to be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University;
- (iii) to issue all notices for convening meetings of the Governing Board and other authorities;
- (iv) to keep the minutes of all the meetings of the Governing Board, and other authorities, and of any Committees appointed by those authorities;
- (v) to conduct the official correspondence of the Governing Board and other authorities;
- (vi) to represent the University in suits or proceedings by or against the University; and,
- (vii) to perform such other duties as may be specified in the Statutes or the Ordinances or as may be required from time to time by the Executive Council.

6. Finance Officer.—(1) The Finance Officer shall be appointed by the Central Government through the method of direct recruitment or deputation from the Central or State Governments, autonomous bodies, statutory bodies, Central Universities, centrally funded technical institutions or State Universities on the recommendation of the Selection Committee as constituted under statute 17.

(2) The Finance Officer shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-two years, whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment:

Provided that the Finance Officer shall, notwithstanding his attaining the age of sixty-two years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office.

(3) The Central Government may, by an order in writing, remove the Finance Officer on the grounds of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions.

(4) No such order shall be made by the Central Government unless the Finance Officer has been given an opportunity of being heard:

Provided that the Central Government may, at any time before making such order, place the Finance Officer under suspension, pending enquiry.

Provided further that the Chancellor shall constitute a fact-finding committee to examine such cases, which shall submit its recommendations on the case to the Chancellor. The Chancellor, then, shall communicate such recommendations along with his observations in the matter to the Central Government for appropriate action.

(5) The Finance Officer shall be paid a monthly salary (level-14 (Rs. 14200-218200) in the pay matrix) and other allowances, and perks at par with that of equivalent post of Centrally Funded Technical Institutions such as Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management and the like and other Institutions of National Importance as amended from time to time and the terms and other conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be provided by the Executive Council at par with Centrally Funded Technical Institutions such as Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management and the like.

(6) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(7) The Finance Officer may resign from the post by giving three months' notice to the Executive Council, which shall be forwarded with recommendation to the Ministry of Cooperation, Government of India and shall be deemed to be accepted if no decision is taken within the three months and the Finance Officer shall stand relieved on the expiry of the notice period and the Finance Officer may withdraw his resignation at any time during the notice period if no decision is taken on the subject:

Provided that, if the Executive Council decides that the Finance Officer may be relieved with immediate effect without completion of the notice period, then the Finance Officer may be relieved by paying salary for the remaining notice period.

(8) The Finance Officer shall be the *ex officio* Member-Secretary of the Finance Committee.

(9) The Finance Officer shall—

- (i) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise the financial policy of such funds; and
- (ii) perform such other financial function as may be assigned to him by the Executive Council.

(10) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall—

- (a) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;
- (b) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;
- (c) be responsible for the preparation of annual budget of the University and for their presentation to the Executive Council;
- (d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;
- (e) watch the progress of the collection of revenues and advise on the methods of collection employed;
- (f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up to date and that stock-checking is conducted of equipment and other consumable materials in all offices, Departments, Centres, Schools and the like maintained by the University;
- (g) bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against all responsible persons; and
- (h) call for, from any office, Department, Centre, Laboratory, College, Institution established or maintained by the University, any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

(11) Any receipt issued by the Finance Officer or the person duly authorised in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University, shall be treated as sufficient discharge for payment of such money.

7. Meetings of Governing Board.—(1) An annual meeting of the Governing Board shall be held on a date to be fixed by the Executive Council in consultation with the Chancellor unless some other date has been fixed by the Governing Board in respect of any year, not later than 30th September in any financial year.

(2) At an annual meeting of the Governing Board, a report on the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipts and expenditures, the balance sheet as audited, and financial estimates for the next year shall be presented.

(3) A copy of the statement of receipts and expenditure, the balance sheet and the financial estimates referred to in sub-statute (2), shall be provided to every member of the Governing Board at least seven days before the date of the annual meeting:

Provided that special meetings of the Governing Board may be convened by the Executive Council or the Vice-Chancellor or if there is no Vice-Chancellor, by the Registrar.

(4) Eleven members of the Governing Board shall form a quorum for a meeting.

8. Constitution, powers and functions of Executive Council.—(1) The Central Government may, by notification, constitute an Executive Council of the University from such date as it may specify therein.

(2) The Executive Council shall consist of the following members including at least two women members to be nominated by the Central Government, namely:—

- (i) Vice-Chancellor - Chairperson, *ex-officio*;
- (ii) Financial Adviser, Ministry of Cooperation, Government of India – Member, *ex-officio*;
- (iii) Director and *ex-officio* Dean of the Institute of Rural Management Anand School – Member, *ex-officio*;
- (iv) five Deans of Schools (*ex-officio*), by rotation, for three years – Members;
- (v) two Directors of Institutes affiliated to the University, by rotation, for three years - Members
- (vi) Proctor - Member, *ex-officio*;
- (vii) Joint Secretary and above level officer from the Ministry of Cooperation - Member, *ex-officio*
- (viii) two senior Professors, by rotation for three years - Members;
- (ix) three eminent domain experts from cooperative sector, for three years - Members;
- (x) one representative each from the National Cooperative Development Corporation, National Fishery Development Board, National Bank for Agriculture and Rural Development and Reserve Bank of India for three years - *ex-officio* Members;
- (xi) Registrar-*ex officio* Secretary.

(3) The term of office of an *ex-officio* member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member.

(4) The Executive Council shall meet at least once in every quarter and one-third of the members of such Council shall form a quorum for a meeting.

(5) The Executive Council shall have the power of management and administration of the revenue and property of the University and the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for.

(6) Subject to the provision of this Act, the Statutes and the Ordinances, the Executive Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

- (i) to create teaching and other academic posts including Chairs;

- (ii) to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff:

Provided that no action shall be taken by the Executive Council in respect of the number and qualifications of teachers and other academic staff otherwise than after consideration of the recommendations of the Academic and Research Council;
- (iii) to appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff including Chair, as may be necessary, on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill up temporary vacancies therein;
- (iv) to promote inter-disciplinary research by making joint appointments of teaching staff in different Institutes, Colleges, Faculties, Schools, Department and Centres;
- (v) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to define their duties and conditions of their service of administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto in the manner provided by the Ordinances;
- (vi) to grant leave of absence to any officer of the University other than the Chancellor and the Vice-Chancellor, and to make necessary arrangements for the discharge of the functions of such officer during his absence;
- (vii) to regulate and enforce discipline among employees in accordance with the Statutes and the Ordinances;
- (viii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents as it may think fit;
- (ix) to fix limits on the total recurring and the total non-recurring expenditure for a year on the recommendation of the Finance Committee;
- (x) to deposit all funds of the University in such banks or invested in such manner as the Executive Council may determine on the recommendation of the Finance Committee;
- (xi) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University:

Provided that prior approval of the Central Government shall be taken before transferring or disposing of any immovable asset;
- (xii) to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (xiii) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;
- (xiv) to redress any grievances of the aggrieved employees and students of the University;
- (xv) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them, and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic and Research Council;
- (xvi) to select a common seal for the University and provide for the use of such seal;
- (xvii) to institute fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (xviii) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and Scholars and determine the terms and conditions of such appointments;
- (xix) to enter into partnership with industry and non-Government agencies for the advancement of knowledge and establish a corpus of funds out of the profits of such partnership;
- (xx) to advise on a reference received from the Central Government in respect of any matter;
- (xxi) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, Deans, Registrar or Controller or such other employee or authority of the University or to a committee appointed by it, as it may deem fit;
- (xxii) In general, Executive Council shall exercise all powers of the University provided under section 7 of the Act, which are not delegated to any other officers and authorities, to fulfil the objects of the University, and

(xxiii) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred on it by this Act or these Statutes.

9. Constitution, powers and functions of Executive Board of Institute of Rural Management Anand School.—(1) The University may constitute an Executive Board of the Institute of Rural Management Anand School from such date as it may specify.

(2) The Executive Board shall consist of the following members including at least one women member to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Executive Council, namely:—

- (i) Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Gujarat, Member, *ex-officio*;
- (ii) one eminent domain-expert from the cooperative sector, for three years - Member;
- (iii) One representative from one amongst Banaskantha District Cooperative Milk Producers' Union Limited, Kaira District Cooperative Milk Producers' Union Limited, Mehsana District Cooperative Milk Producers' Union Limited, Sabarkantha District Cooperative Milk Producers' Union Limited, by rotation, for three years – Member;
- (iv) one eminent academician from outside the University, for three years- Member;
- (v) one eminent domain expert from the Development sector, for three years- Member;
- (vi) one Professor or Associate Professor of the Institute of Rural Management Anand School, by rotation, for three years - Member;
- (vii) one Professor or Associate Professor from other Schools of the University, by rotation, for three years - Member;
- (viii) One representative from one amongst National Dairy Development Board, Karnataka Cooperative Milk Producers' Federation Limited and Tamil Nadu Cooperative Milk Producers' Federation Limited, by rotation, for three years - Member;
- (ix) one eminent alumnus of the Institute of Rural Management Anand School, for three years - Member;
- (x) Director, Institute of Rural Management Anand School - Convenor.

(3) In case, the post of Chancellor is vacant, the Central Government shall nominate the members of the Executive Board on the recommendations of the Executive Council.

(4) The Executive Board shall meet at least once in every quarter and four members of the Executive Board shall form a quorum for a meeting.

(5) The Executive Board shall be responsible for ensuring the identity and autonomy of the Institute of Rural Management Anand School as under the Act and Statutes made thereunder and shall coordinate general supervision over the Institute of Rural Management Anand School.

(6) The identity and autonomy of any ongoing academic programmes and courses of the Institute of Rural Management Anand School shall be preserved by the University and any modifications, if needed, shall be made with the concurrence of the Executive Board of the Institute of Rural Management Anand School.

(7) The Institute of Rural Management Anand School shall have the following administrative and academic autonomy ,—

(a) under academic autonomy, the following items of academic nature shall be included namely:-

- (i) continuing ongoing courses and programs;

- (ii) designing and launching a new program or course on rural management including its pedagogy, etc.;
- (iii) electives courses to be offered;
- (iv) conducting research and undertaking consultancy;
- (v) Management Development Programmes for the development sector, including the cooperative sector;
- (vi) organising Workshops, Seminars or other academic events related to rural management;
- (vii) research and other academic collaborations with reputed national and international institutions;

(b) under administrative autonomy, the following items of day-to-day administration shall be included, namely:-

- (i) day-to-day activities relating to its physical and information technology infrastructure;
- (ii) safety and security of its physical installations;
- (iii) assessment and recruitment of academic associates and administrative staff on a contractual basis;
- (iv) the manner of admission of students into the courses offered by the Institute of Rural Management Anand School as per the guidelines framed by the Executive Board;
- (v) appointment of the guest faculty or contractual faculty in accordance with the Ordinances of the University;
- (vi) purchase of required technological equipment and peripherals; and
- (vii) any other petty work for the day-to-day smooth functioning of the school.

The above items will not require the administrative approval of the Executive Council of the University so far as the Institute of Rural Management Anand School is concerned. However, the Institute of Rural Management Anand School will follow all rules and procedures including that of procurement or hiring of goods and services as laid by the University, to discharge such functions. However, any other administrative matters such as recruitment and promotion of the faculty members, pay-related matters, incentives, provisions like housing, Leave Travel Concession, Medical facilities, etc. will be exclusively under the jurisdiction of the University.

10. Chairperson of Executive Board of the Institute of Rural Management Anand School.—(1) The Chairperson of the Executive Board of the Institute of Rural Management Anand School shall be recommended from among the members of the Executive Board and all members will be eligible for voting and any member receiving the maximum number of votes will be recommended for appointment to the post of Chairperson by the Executive Council. Vice-Chancellor shall appoint the Chairperson of the Executive Board based on such recommendation:

Provided that the Chairperson shall not be an employee of the University.

(2) The tenure of the Chairperson shall be for three years from the date of notification of the constitution of the Executive Board:

Provided that when the office of the Chairperson of the Executive Board becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or, as the case may be, due to illness or such other cause, the Executive

Board may appoint a person from among the members of the Board to perform the functions of the Chairperson for the remainder of the term of office of the Chairperson in whose place he is so appointed.

11. Acting Chairman of meetings.—Where no provision is made for the Chairman to preside over a meeting of any authority of the University or any Committee of such authority or when the Chairman so provided for is absent, the members present shall elect one from amongst themselves to preside at such meeting.

12. Resignation.—Any member, other than an *ex officio* member of the Governing Board, the Executive Council or Executive Board of the Institute of Rural Management Anand School or any Committee of such authority may resign by letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as the same is approved by the Vice-Chancellor.

13. Disqualification.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities, or for being appointed as, and for being, an officer, of the University if—

- (i) he is of unsound mind;
- (ii) he is an undischarged insolvent;
- (iii) he has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for a term not less than six months or has been in jail for more than 10 days;
- (iv) not appointed as per provisions of the Act /Statutes/Ordinance; or
- (v) any teacher-member has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of examination.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in clause (i), the question shall be referred to the Central Government and its decision shall be binding on the parties.

14. Resident conditions for membership and office.—Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person, who is not a citizen of India, shall not be eligible to be an officer of the University or a head of any authority of the University.

15. Membership of authorities by virtue of membership of other bodies.—Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who holds any post in the University or is a member of any authority or body of the University in his capacity as a member of a particular authority or body or as the holder of a particular appointment shall hold such office or membership only for so long as he continues to be a member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be.

16. Search-cum-Selection Committee.—There shall be a Search-cum-Selection Committee constituted by the Central Government for making recommendations to the Central Government for appointment to the post of Vice-Chancellor, comprising three eminent persons chosen from educationists, scientists, administrators, judiciary, technocrats and management specialists to be constituted by the Central Government, by a majority decision of the members present and voting:

Provided that none of the members of the Committee shall be an employee of the University or a College or Institution or Regional Centre or Study Centre established or maintained by the University or a member of any authority of the University.

17. Selection Committee.—There shall a Selection Committee constituted by the Central Government for making recommendations to it for appointment to the post of Registrar and Finance Officer:

Provided that none of the members of the Committee shall be an employee of the University or a College or Institution or Regional Centre or Study Centre established or maintained by the University or a member of any authority of the University

18. Nomenclature to the Institute of Rural Management Anand School.—As per provisions of clause (vi) of sub-section (1) of section 7 of the Act, the nomenclature of the Institute of Rural Management Anand School is hereby named as “IRMA” in order to preserve the identity of the erstwhile Institute of Rural Management Anand.

19. The resolution by circulation: In any emergency, except in budget-related matters, where the action is required to be taken on urgent basis and where the approval of any of the authority is required and holding of meeting by such authority is not feasible due to shortage of time then the proposed decision in the form of resolution may be circulated to all members of such authority and any resolution so circulated and approved by a majority of the members signing shall be effective and binding as if the resolution had been passed at the meeting of such authority, provided that at least as many members as required by the quorum have recorded their views on the resolution.

20. When a dispute arises regarding any procedure followed or any matter with regard to conduct of business of the meeting, the ruling of the Chairman of the respective authority shall be final.

21. The Chairman of any authority may invite any expert or experts for any specific agenda item in the meetings of the authority, as per requirements. However, such invitee shall not have right to vote.

[F.No. K-17/1/2025-MoC]

ANAND KUMAR JHA, Jt. Secy.